

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर 2010—अग्रहायण 4, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ-3-9-2007-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981), की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, श्रीमती नीता पहारिया को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर का सदस्य नियुक्त करती है.

No. F. 3-9-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government on the recommendation of the Lokayukt, hereby appoints Smt. Neeta Pahariya as member of the Divisional Vigilance Committee, Gwalior for a period of three years from the date of joining.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ-3-9-2007-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981), की धारा 13-क की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, श्री आर. सी. गर्ग को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर का सदस्य पुनः नियुक्त करती है.

No. F. 3-9-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Read with sub Section (3) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government on the recommendation of the Lokayukt, hereby reappoints Shri R.C. Garg as member of the Divisional Vigilance Committee, Gwalior for a period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.